

20/12/14

दि 21-12-14 को राजेश कुमार को सी व
साथ कानूनी सलाह लेने के लिए अग्रिम उद्देश्य
वकीली तारा कर्मा का नाम से राधा पत्रावली
आदिमा 14 24-12-14 से मंजूरी

21/12/14

नवकाशी मोदी अग्रिम उद्देश्य आदिमा
वकीली तारा कर्मा को सी व अग्रिम उद्देश्य
आदिमा 14 का नाम से राधा पत्रावली
जैत हो।
3

3 1/20 20

पत्रावली पेश हुई। वकील अग्रिम पक्ष उपस्थित।
पत्रावली 3/1, लगापत्र 3/5 ने रजिस्ट्री AD के
से मना किया। इनके विरुद्ध एक पक्षीय कर्पनाधि
की जाती है। शेष की तलबी दिनांक 6/1/2020 को
पेश हो।

6/1/20

3.
नवकाशी मोदी अग्रिम उद्देश्य अग्रिम उद्देश्य
नवकाशी अग्रिम उद्देश्य 8-1-20 से मंजूरी।

8 1/2

पत्रावली पेश हुई। वकील अग्रिम पक्ष उपस्थित।
पत्रावली पर वकील अग्रिम पक्ष की मुना गामा।
पत्रावली का अवलोकन किया अदालत का मजबूत
किया। प्राईम फैसले के मुकाम पर मजबूत प्रार्थना
के पक्ष में साबित हो गई के कारण प्रार्थना
पक्ष अग्रिम पक्षी निषेधाता स्वीकार किया जाना उचित
प्रतिष्ठित होता है।

अतः प्रार्थना का प्रार्थना पत्र अग्रिम पक्षी निषेधाता
स्वीकार किया जाता है। एवं इस न्यायालय द्वारा
जाती अग्रिम पक्षी निषेधाता दिनांक 5/12/19 ता फैसला वाद
कनफर्म किया जाता है। पत्रावली फैसल मुना हो कर
नम्बर के काम हो।

3

8/1/2020

